

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्री बसन्तलाल जैन  
निवासी वेरा की गली जावाल  
तहसील सिरोही  
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी  
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 20 वर्ष 2023

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 24.02.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा 23.03.2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम जावाल में नगरपालिका गठन के बाद भूमि/संरचना और कृषि भूमि के लिए कितने भूमि/निर्मित संरचनाओं के पट्टे, नए और शहरी क्षेत्र के संपरिवर्तन के तहत जारी किए गए हैं एवं कितनी निर्माण अनुमतियां जारी की गई हैं, उनके नाम, पते और तारीख के साथ पत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 24.02.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा 23.03.2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम जावाल में नगरपालिका गठन के बाद भूमि/संरचना और कृषि भूमि के लिए कितने भूमि/निर्मित संरचनाओं के पट्टे, नए और शहरी क्षेत्र के संपरिवर्तन के तहत जारी किए गए हैं एवं कितनी निर्माण अनुमतियां जारी की गई हैं, उनके नाम, पते और तारीख के साथ पत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरोही

